International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 09, September- 2023
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

उत्तर प्रदेश अ धवक्ता संरक्षण अ धनियम 2023

यूसुफ खां

बी.ए.एल.एल.बी, एल.एल.एम

शोध सारांश :भारत में अ धवक्ताओं की स्थिति बहुत दयनीय है आये दिन अ धवक्ताओ की हत्याये की जा रही है.ऐसे कई मामले अलग अलग स्थानों पर देखने को मले है जिसमे वकीलों की बेरहमी से हत्याऐ की गयी है,जिसका जीता जागता उदाहरण जोधपुर का है जिसमे एक वकील की बेरहमी से हत्या दिन दहाड़े कर दी गयी, जिससे एक बार फर से वकीलों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है बीते वर्षो में भारत में वकीलों के खलाफ अपराधो में अचानक वृ द्ध हुई है|

आगरा बार कों सल की पहली महिला अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या, गुजरात के कच्छ में वकील देवजी महेश्वरी की उनके कार्यालय में हत्या, सन् 2022 में शाहजहांपुर में अ धवक्ता भूपेंद्र प्रताप संह, प्रयागराज के जिला न्यायालय में अ धवक्ता नवी अहमद और हाल में ही अ धवक्ता उमेश पाल की प्रयागराज में घेरकर हत्या कर दी गयी,2023 जुलाई माह को बरेली के प्र सध्द अ धवक्ता सूर्य प्रकाश भटनागर जी की हत्या दिन दहाड़े कर दी गयी, और उसके बाद 9 अगस्त 2023 अलीगढ में भी एक अ धवक्ता अब्दुल मुगीज की हत्या कर दी गयी. इसके बाद हापुड की घटना को नजर अंदाज नहीं जा सकता है जहाँ पर पु लस प्रशासन का कुरूप रूप देखने को मला है 29 अगस्त 2023 को एक महिला अ धवक्ता और उनके साथी अ धवक्ताओ को पु लस प्रशासन के द्वारा बड़ी बहेरेमी से लाठी व डंडो से पीटा गया. जैसे कही उदाहरण है जिससे पता चलता है क भारत में वकील कतने सुर क्षत है, ये अपराध पु लस वभाग और प्रशासन की ओर से लापरवाह और ढीले रवैये को दर्शाते है ऐसी घटनाओ के वरोध में देश भर की कई अदालतों के अ धवक्ता हड़ताल और न्यायिक कार्य का अनिश्चितकालीन वहिष्कार करने का आहान कर रहे है और अ धवक्ता अपने परिवारो की सुरक्षा के लए एक कानून की भी मांग कर रहे है|[1]

अ धवक्ताओ की स्वतंत्रता, व ध का शासन के लए एक महत्वपूर्ण शर्त:

अ धवक्ता व ध का शासन बनाये रखने और न्याय सुनिश्चित करने में अहम भू मका निभाते है वे आज हिंसा, उत्पीडन और डराने ,धमकाने का निशाना बन गए है वकील न्याय के प्रशासन, मानवा धकारों की रक्षा के लए लोक तंत्र और व ध के शासन में महत्वपूर्ण भू मका निभाते है बरहाल

1

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 07, July- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

यहाँ स्पष्ट है क वकीलों पर व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से हमले लगातार हो रहे है जिससे स्वतंत्र रूप से और सुर क्षत रूप से कानून का अभ्यास करने की उनकी क्षमता खतरे में पड़ गए है वकीलों की स्वतंत्रता पर हमले पूरे कानूनी पेशे पर एक भयावह प्रभाव डाल सकते है अदालत में अ धवक्ताओ की निडरता ,स्वतंत्रता ,शु चता ईमानदारी ,समानता ऐसी श्रेष्ठता है जिनकी व ल नहीं दी जा सकती है मौ लक स्वतंत्रता और मानवा धकारों के प्रति सम्मान बनाये रखने के लए कानूनी पेशे की स्वतंत्रता आवश्यक है यदि एक अ धवक्ता स्वतंत्र, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, स्वायतत्ता और तटस्थता के साथ कार्य करने में असमर्थ होता है तो न तो व ध का शासन कायम रह सकता है और न ही न्याय ठीक से प्रशा सत हो सकता है बे सक प्रं सपल ऑन दा रोल ऑफ लॉयर्स **1990 (**दी बे सक प्रं सपल एवं वयना डक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट **1993** द्वारा **)**कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को एक लोकतान्त्रिक प्रणाली की व शष्ट वशेषता के रूप में द्रढता से स्था पत कया गया है जिसको संयुक्त राष्ट्र मानवा धकार परिषद (UNHRC) और यूनाइटेड नेशन जनरल असेम्बली में कई राज्य संकल्प द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ|

अ धवक्ता संरक्षण अ धनियम की अनिवार्यता : बार कौं सल ऑफ़ इं डया ने 2 जुलाई 2021 को अ धवक्ता संरक्षण वधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कया. इसका प्रमुख लक्ष्य वकीलों और उनके परिवारो को मार पीट, अपहरण, अवैध कारावास जैसे अपराधो के खलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करना है, अ धवक्ता (संरक्षण) वधेयक 2021 में अ धवक्ता सुरक्षा और वकीलों के लए वत्तीय सहायता का प्रावधान शा मल है. इसके अलावा यदि कोई अ धवक्ताओ के अ धकारों का उल्लंघन करने की को शश करता है, तो यह वकीलों को मुआवजा भी देने का उल्लेख करता है.|

राजस्थान अ धवक्ता संरक्षण अ धनियम 2023: राजस्थान वधान सभा बहुमत से राजस्थान अ धवक्ता (संरक्षण)अ धनियम 2023 पारित हो गया है. राजस्थान अ धवक्ताओ की सुरक्षा के लए वधेयक लाने वाला पहला राज्य बना है. वकीलों के साथ मारपीट, अभद्रता करने वाले को दंड के लए सात साल के लए कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने का प्रावधान कया गया हैं.[2]और इस अ धनियम में यह भी प्रावधान दिया गया है क अगर कोई व्यक्ति अ धवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो आरोपी से क्षतिपूर्ति की रा श वसूल कर अ धवक्ता को दिलाया जायेगा. अ धनियम की धारा 3 में संशोधन कर यह प्रावधान कया गया है क कसी वकील के कामकाज के संबंध में हिंसा होने पर सभी जगह यह एक्ट प्रभावी होगा |

केस ;ओ. एन. मोहिंद्रू बनाम दिल्ली बार कौं सल और अन्य **(1968)**

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की अ धवक्ता अ धनियम सर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य कोर्ट में अभ्यास करने के हक़दार व्यक्ति से निपटने वाले कानून का एक अनिवार्य हिस्सा है ,इसी लए यह एक्ट यहाँ सुनिश्चित करने के लए एक केंद्रीय एक्ट प्रदान करता है की वकील न्याय प्रशासन और व ध

2

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 07, July- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

शासन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लए बिना कसी धमकी उत्पीडन या बाहरी प्रभाव से अपनी योग्य और कुशल सेवाए प्रदान करे |

.अनुच्छेद 19 : अनुच्छेद 19 के तहत गारंटी कृत स्वतंत्रता का अ धकार प्रदान करता है , सं वधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 19 को देश के लोगो के लए महत्वपूर्ण अ धकारों में से एक माना है कसी भी अन्य नागरिक की तरह वकीलों को भी अ भव्यक्ति ,भाषण , वश्वाश संघ और सभा की स्वतंत्रता प्रदान की गए हैं |[3]

अनुच्छेद 39a : अनुच्छेद 39a में यहाँ प्रावधान है की प्रत्येक राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करके समान अवसर के आधार पर न्याय को बढावा देकर कानूनी प्रणाली के प्रवाभी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए|[4]

अ धवक्ता (संरक्षण) वधेयक की आवश्यकता क्यों हैं? अपने पेशेवर कर्तव्यो का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए वकीलों पर हमले, हत्या ,धमकी और भय से हाल ही के मामलो से एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गयी है. हाल की घटनाओ में मार पीट ,आपरा धक वल, वकीलों को दी गयी धम कयो ने वकीलों के मन में आशंका पैदा कर दी है जिसके संबंध में न्याय में देरी होती हैं. हाल ही वल यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ऑन दा प्रं सपल ऑफ़ क्राइम एंड दा ट्रीटमेंन ऑफ़ अफेयर्स 1990 के प्रस्ताव के अनुरूप है, जो वकीलों की भू मका पर बुनियादी सध्दांत प्रदान करता है |

उत्तर प्रदेश में अ धवक्ता (संरक्षण) वधेयक लागू होना चाहिए :जिस तरह से राजस्थान में अ धवक्त (संरक्षण)अ धनियम 2023 लागू कया गया है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अ धवक्ता संरक्षण अ धनियम लागू कया जाना चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार एसो सएशन की लाइब्रेरी हाल में अ धवक्ताओ की एक बैठक उत्तर प्रदेश में अ धवक्ता सुरक्षा कानून को लागू कराने को लेकर हुई. जिसमे सर्वसम्मति से यह निर्णय लया गया, क अ धवक्ता समाज न्यायपा लका का अ भन्न अंग है और उनके द्वारा बिना कसी भय के न्यायिक कार्य संपादन सर्व सुलभ न्याय के लये आवश्यक है |

केस: ओ .पी. शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय(2011) इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की, क वकील अदालतों के अ धकारी है और इस लए न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है,और उनकी सहायता से न्याय प्रणाली काम करती है न्याय और नागरिको के अ धकारो को बनाये रखने के लए अ धवक्ताओ का सहयोग अति महत्वपूर्ण है|[5]

अ धवक्ता का वकालत करने का अ धकार : केस :

भारतीय व धक परिषद बनाम केरल उच्च न्यायालय

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 07, July- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया क अ धवक्ताओ को वकालत करने का अ धकार मूल अ धकार नहीं है बल्कि अ धनियम द्वारा प्रदत्त् अ धकार है अंतः उसे अ धनियम और नियम द्वारा निर्बन्धित कया जा सकता है।[6]

सन्दर्भ सूची

1:Hindi.livelaw.in

2:livehindustan.com

3:भारतीय सं वधान के अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को वाक् और अ भव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है .

4 :अनुच्छेद 39a राज्य पर सभी नागरिको के लए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का दायित्व डालता है.

5: ओ.पी .शर्मा बनाम पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय (2011). 6: भारतीय व धक परिषद बनाम केरल उच्च न्यायालय ए.आई.आर.(2004)SC